रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27032021-226155
CG-DL-W-27032021-226155

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 14 - मार्च 20, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 23 - फाल्गुन 29, 1942
No. 11] NEW DELHI, MARCH 14 - MARCH 20, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 23 -PHALGUNA 29, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

---

foRr e=ky;

(jktLo foHkkx)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2021

lk-dk-fu- 32-&संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने उपक्रम के वर्ग “ग” एवं “घ” अराजपत्रित (दवाखाना कर्मचारी) के पूर्व भर्ती नियमावली 1983 के अतिक्रमण में इस प्रकार के अतिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोडकर, राष्ट्रपति एतदद्वारा नर्स के पद पर भर्ती की पद्वति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः

1- y/k **'ाीर्ष तथा प्रतृत्त होना-&** (I) इन नियमों को सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच एवं गाजीपुर (नर्स) भर्ती नियम 2020 कहा जाएगा।

(II) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2- inksa dh la[;k] oxhZdj.k vkSj osru eSfVªDl ij Lrj- inksa dh la[;k-&उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स पर स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3- HkrhZ i}fr] vk;q –lhek ;kX;rk vkfn-&इन पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता, तथा अन्य मामले, उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में तथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित हो अथवा

(ख) जो जीवित पति अथवा पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा उसका करार करता है।

उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार ऐसे व्यक्ति पर लागू होने वाले स्वयी विधियों के अंतर्गत ऐसे विवाह तथा विवाह के दूसरे पक्ष से तथा ऐसे कृत्य हेतु अन्य कारणों से संतुष्ट हो तो वह इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती हैं।

5- NwV inku djus dk vf/kdkj-&यदि केन्द्र सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा आवश्यक हो तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्ति को आदेश द्वारा लिखित में रिकार्ड किए गए ऐसे कारणो के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है।

6- bl ds vfrfjDr-&इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष श्रेणियों अथवा व्यक्ति को दी जाने वाली आयु सीमा तथा अन्य छूट आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

vuqlwph

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स पर स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
नर्स	2* (2020) *(कार्यभार की प्रकृति के आधार पर अलग अलग) 01 नीमच में एवं 01 गाजीपुर में.	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित गैर.मंत्रालयीन	वेतन मैट्रिक्स पर स्तर 7 (रू.44900/--142400)

क्या चयन अथवा गैर चयन पद हैं.	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा.	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं.	क्या सीधी भर्ती आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होगी.
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 साल तक शिथिल की जा सकती है) uksV% आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेधालय अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं	vfuok;Z अ (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिग में विज्ञान स्नातक (आनर्स); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान से नर्सिग के नियमित पाठ्यक्रम से विज्ञान स्नातक; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक नर्सिंग से विज्ञान	लागू नहीं.

	संघ शासित क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित कि गई है।	स्नातक; एवं (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स या नर्स और मिड . वाइफ (रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिड –वाइफ) के रूप में पंजीकृत हो या ब (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स या नर्स और मिड वाइफ (रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड नर्स एवं रजिस्टर्ड मिड –वाइफ) के रूप में पंजीकृत हो; एवं (iii) ऊपर ब (i) में वर्णित 'शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम पचास 'शैय्या वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। ukV 1% अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। ukV 2% अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताए) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थीयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होन की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो.	भर्ती की पद्वति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संवीलियन ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संवीलियन द्‌वारा भर्ती किए जाने के मामले में.
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ukV 1% पदधारी के प्रतिनियुक्तिया लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्‌टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियॉ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगीः (अ) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारण किए हुए हैय और जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएॅं एवं अनुभव है. ukV 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना.	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श किया जाना अपेक्षित है।
(12)	(13)
leg ß[kþ foHkkxh; iqf"V lfefr] iqf"V dh laca/k eas fopkj djus gsrq (fuEufyf[kr ls feydj½ cukxh- 1. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाने, नई दिल्ली –अध्यक्ष 2. महाप्रबंधक, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच अथवा गाजीपुर –सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी फैक्ट्री डिस्पेन्सरी, नीचम अथवा गाजीपुर– सदस्य 4. महाप्रबंधक (वाणिज्य) अथवा (वित्त) कार्यालय मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली –सदस्य 5. वित्त विभाग अथवा नारकोटिक्स अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अथवा आयकर विभाग से समूह "क" अधिकारी. –सदस्य.	लागू नहीं

[फा.सं. II(17)1/ स्था.सी.सी.एफ./2013]

टी.के.सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 10th January, 2021

G.S.R. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government Opium and Alkaloid Works Undertaking Group ‘C’ and ‘D’ non-gazetted (Dispensary Staff) Recruitment Rules, 1983, in so far as they relate to the post of Nurse, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nurse, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch and Ghazipur (Nurse) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Nurse	2* (2020) * (Subject to variation dependent on workload) 01 at Neemuch and 01 at Ghazipur	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto Five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,	**Essential;** (A)(i) Bachelor of Science (Hons) in Nursing from a recognised University or Institute; or Regular course in Bachelor of Science Nursing from a recognised University or Institute; or Post Basic Bachelor of Science Nursing from a recognised University or Institute; and	Not applicable

	Union territory of Ladakh and Union territory of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar islands and Lakshadweep.	(ii) registered as a Nurse (RN) or Nurse and Mid-wife (RN & RM) with State Nursing Council; or (B)(i) Diploma in General Nursing Mid-Wifery from a recognised Board or Council; (ii) registered as a Nurse (RN) or Nurse and Mid wife (RN & RM) from State Nursing Council; and (iii) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at (B) (i) above. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on	Not applicable

	deputation basis from officers of the Central Government: (A)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (B) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Chief Controller, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi - Chairman; (ii) General Manager, Govt. Opium and Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur – Member; (iii) Medical Officer of the Factory Dispensary, Neemuch or Ghazipur – Member; (iv) General Manager (Commercial) or (Finance) of the office of the Chief Controller of Factories, New Delhi - Member; (v) one Group "A" Officer from Department of Revenue or Narcotics or Central Excise and Customs or Income Tax Department – Member.	Not applicable

[F.No.II(17)1/Estt/CCF/2013]

T.K. SATPATHY, Under Secy.

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सा.का.नि. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) समूह 'ग' (तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, समूह 'ग' तकनीकी पद भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार, चालक श्रेणी-।	*7 (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5, (29,200 – 92,300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4 (25,500 – 81,100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्था.-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य; 3. अवर सचिव (स्था.-क-। और ख-।), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य; 4. अवर सचिव (पीएफ-।।।), गृह मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-।।)	*6 (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4, (25,500 – 81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)
प्रोन्नति :- वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19,900 – 63,200 रु.) में ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्था.-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य; 3. अवर सचिव (स्था.-क-। और ख-।), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य; 4. अवर सचिव (पीएफ-।।।), गृह मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	*6 (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5, (19,900 – 63,200 रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	**आवश्यक :-** (i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटर यान यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए); (iii) मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवाँ स्तर उत्तीर्ण वांछनीय :- (i) होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000 – 56,900 रु.) में के ऐसे सवार-हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सक्षमता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से

जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000 – 56,900 रु.) में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो।

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है। ऐसे व्यक्ति को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (स्था.-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य; 3. अवर सचिव (स्था.-क-। और ख-।), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य; 4. अवर सचिव (पीएफ-।।।) गृह मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सवार हरकारा	*5 (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (19,900 – 63,200 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय	**आवश्यक :-** (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चालन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हो; (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होने चाहिए); (iii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चालन का दो वर्षों का अनुभव; और (iv) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवां स्तर उत्तीर्ण। वांछनीय :- होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव।

					के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**टिप्पण 1** – अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000 – 56,900 रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (समूह 'ग') में से जिनके पास मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के चालन की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000 – 56,900 रु.) में ऐसे नियमित आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृन्द या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हो।

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/आमेलन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– अध्यक्ष;** 2. अवर सचिव (स्था.-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **- सदस्य;** 3. अवर सचिव (स्था.-क-। और ख-।), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग **– सदस्य:** 4. अवर सचिव (पीएफ-।।।), गृह मंत्रालय **- सदस्य।**	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-प्रशा.III]

प्रेम कुमार मंडल, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 17th March, 2021

G.S.R. 33. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Group 'C' (Technical) posts Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Technical posts in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. Short title and the commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Group 'C' (Technical) posts Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. —The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. . —The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver Grade – I.	7* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (Rs. 29,200 – 92,300) in the pay matrix	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, levels from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade - II in level 4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the pay matrix with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade -II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** **(1)** Under Secretary (Administration), Department of Personnel and Training – Chairman; **(2)** Under Secretary (Estt-D), Department of Personnel and Training – Member; **(3)** Under Secretary (Estt-A-I and B-I), Department of Personnel and Training – Member; **(4)** Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	6* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the pay matrix	Non- selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs. 19,900 – 63,200) in the pay matrix, with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel and Training – Chairman; (2) Under Secretary (Estt-D), Department of Personnel and Training – Member; (3) Under Secretary (Estt-A-I and B-I), Department of Personnel and Training – Member; (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	6* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 (Rs. 19,900 – 63,200) in the pay matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,

					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Union Territory, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor- defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10^{th} standard from recognised board. **Desirable:** (i) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note 1.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2.-** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/ absorption, failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Dispatch Riders (Group 'C') and Group 'C' employees in the level 1 (Rs. 18,000 – 56,900) in the pay matrix in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; who possess valid driving license for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs. 18,000 – 56,900) in the	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel and Training – Chairman; (2) Under Secretary (Estt-D), Department of Personnel and Training – Member; (3) Under Secretary (Estt-A-I & B-I), Department of Personnel and Training – Member; (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member.	Not applicable.

pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note2.-** The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Despatch Rider	5* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level 2 (Rs. 19,900 – 63,200) in the pay matrix	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Union Territory, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

					Note 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Possession of a valid driving license for driving motor cycle or auto rickshaw; (ii) Knowledge of motor cycle or auto rickshaw mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor cycle or auto rickshaw for two years, and; (iv) Pass in 10th standard from a recognised board. **Desirable:** (i) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note 1.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2.-** In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	Deputation/ absorption failing which by direct recruitment. **For Ex-servicemen:** Deputation/ re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/absorption: From amongst the regular Multi Tasking Staff (Group 'C') employees in the level 1 (Rs. 18,000 – 56,900) in the pay matrix in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; who possess valid driving license for motor cycle or auto rickshaw; failing which from officials holding the post of Dispatch Rider or Multi Tasking Staff on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 (Rs. 18,000 – 56,900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel and Training – Chairman; (2) Under Secretary (Estt-D), Department of Personnel and Training – Member; (3) Under Secretary (Estt-A-I and B-I), Department of Personnel and Training – Member; (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member.	Not applicable.

necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note2.-** The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. - A-12018/1/2017-Ad.III]

PREM KUMAR MANDAL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा भौतिक विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा भौतिक विज्ञानी	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	लागू नहीं होता	35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला

					का पांगी उपखंड तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक अर्हता: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में पोस्ट एम.एससी डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान के सुसज्जित रेडियेशन थेरपी विभाग में न्यूनतम 12 मास की इंटर्नशिप। या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री जिसमें भौतिकी एक मुख्य विषय के रूप में हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजिकल या चिकित्सा भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त सुसज्जित रेडियेशन थेरपी विभाग में न्यूनतम 12 मास की इंटर्नशिप। **वांछनीय अर्हता:** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के विकिरण भौतिकी और	लागू नहीं होता	एक वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपए) या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100) में पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण:** 1 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता

परामर्श प्रभाग द्वारा संचालित विकिरण संरक्षा अधिकारी परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।			**टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेंगी: 1. संयुक्त सचिव (अस्पताल), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी उपमहानिदेशक - सदस्य; 3. निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली - सदस्य; 4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए.12018/01/2014-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Physicist in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Physicist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, --

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen

and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Physicist	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty-five years of age. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential Qualification:** (i)Post Graduate degree in Physics from a recognised University or institution with M.Sc. Diploma in Radiological or Medical Physics from a recognised University or institution and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department of a recognised institution. Or (ii) Degree in Science from a recognised University with Physics as one of the main subjects with post graduate degree in Radiological or Medical Physics from a recognised University and an internship of minimum twelve months in a recognised well equipped Radiation Therapy Department. Desirable Qualification : Successful completion of Radiological Safety Officer Examination conducted by Radiological Physics and Advisory Division, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(9)	(10)	(11)
One year	100 per cent, by direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :	Not applicable.

	(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years regular service in posts in level 9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of : 1.Joint Secretary (Hospital), Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; 2. Deputy Director General incharge of Medical Hospital Division, Directorate General of Health Services, New Delhi. -Member; 3.Director, Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member; 4. Head of Radiology department , Lady Hardinge Medical College , New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/01/2014- MH-II)

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक, (समूह 'ग') भर्ती नियम 1996 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मुख्य सफाई अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य सफाई अधीक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य सफाई अधीक्षक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु : लागू नहीं होता **शैक्षिक अर्हताएं**: लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है	**प्रोन्नति:** सफ़दरजंग अस्पताल के ऐसे सफाई अधीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300 रुपये) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा नेतृत्व, सफाई और स्वच्छता तथा मानवशक्ति पर्यवेक्षण पर अस्पताल द्वारा आयोजित तीन सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी : (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख)निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव

			रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विद्या में स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या बोर्ड से सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या सफाई स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा ; (v) किसी मान्यताप्राप्त संगठन में सफाई कार्य की देखभाल का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/आमेलन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (2) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य; (3) निदेशक या उपनिदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(4)उपनिदेशक, प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य। **विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** (1) अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; (2) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य; (3) निदेशक या उपनिदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (4) उपनिदेशक, प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए-11018/03/2018-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 35 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjang Hospital, New Delhi ,Chief Sanitary Superintendent (Group 'C') Recruitment Rules 1996 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Sanitary Superintendent in the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Chief Sanitary Superintendent (Group 'B' Post) , Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Sanitary Superintendent	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	**Age** : Not applicable. **Educational Qualifications** : Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** From Sanitary Superintendent in Safdarjung Hospital with six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200 -92300) and having successfully completed three weeks of mandatory training on Leadership , Cleaning and Sanitation and manpower supervision to be conducted by the hospital. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years , whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or Universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ;or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level – 5 in the pay matrix(Rs 29200- 92300) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor degree in any discipline from a recognised University or institute; (ii) Diploma in Sanitary Inspector course or Diploma in Health Inspector course or Diploma in Sanitary Health Inspector course from a recognised University or Institute or Board ; or (iii) 12th class pass from a recognised Board. (iv) Diploma in Sanitary inspectors course or Diploma in Health Inspectors course or Diploma in Sanitary Health Inspector from a recognised University or institute or Board; (v) Two years experience in dealing with sanitation works in any recognised organisation. **Note 1** : The departmental officers in the feeder category who

		are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2**: The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation(Including Short Term Contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3** : The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; (2)Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital -Member; (3)Director or Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration , Safdarjung Hospital -Member. **Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :-** (1)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman; (2)Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital -Member; (3)Director or Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member; (4) Deputy Director Administration , Safdarjung Hospital -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/03/2018-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

सा.का.नि. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, (वर्ग ।।। पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और ड्राइवर (भारी वाहन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर और ड्राइवर (भारी वाहन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता .**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)	06 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख

					होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने को कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास। (ii) मोटर कार चलाने को वैध ड्राइविंग लाइसेंस; (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव। **वांछनीय** : होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्षों की सेवा। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती अथवा पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशत्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए:प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नियमित डिस्पैच राईडर (समूह ग) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) में समूह-ग कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता के मूल्यांकन हेतु ड्राइविंग टेस्ट के आधार परमोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस है,जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1(18000-56900 रुपये) में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडरका पद धारण करने वाले कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों। **सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:** सशस्त्र सेनाओं के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जो निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वचनों पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र सेना से रिलीज़ किये जाएंगे, जिसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। **टिप्पण: 1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2** - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक – सदस्य; 3. उप निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II)	06 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो ।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली -सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल -सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I)	07 (2021)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।।) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी ।।) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में संयुक्त रुप से पंद्रह वर्ष की सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 3. उप निदेशक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली - सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल , नई दिल्ली - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 11018/27/2017-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2021

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home, (Class III posts) Recruitment Rules ,1973, in so far as they relate to the post of the Driver, Ambulance Driver and Driver (Heavy Vehicle) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Driver, Ambulance Driver and Driver (Heavy Vehicle) in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital ,New Delhi, namely:

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Grade-I in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	06 (2021)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non-Gazetted Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names..

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Pass in 10th Standard from a recognised Borad. (ii) Possessing a valid driving license for motor cars; (iii) Experience of driving a motor car for at least three years. Desirable: three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority	Not applicable.	Two years for direct recruits and re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.

for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation or Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group **'C'** employees in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, who possess valid Driving License for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis in Level 1 of the pay matrix (Rs. 18000-56900) in other Ministries of the Central government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7) **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-	**Group C Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manahor Lohia Hospital. -Chairman; 2. Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member.	Not applicable

cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or Department of Central Government shall ordinary not exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 2.-** The departmental officials in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Staff Car Driver Grade II	06 (2021)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C Non-Gazetted, non -Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) having nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Central Government.	**Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2. Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, -Member; 4.Incharge Transport, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.Staff Car Driver Grade I	07 (2021)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, non-Ministerial	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29200-92300)	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade II in Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) having six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Central Government.	**Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1.Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman; 2.Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services - Member; 3.Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Member 4. Incharge Transport, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/27/2017-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	01 (2021)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	**आयु:** लागू नहीं होता **शैक्षणिक अर्हता:** लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा,	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. ए-12018/15/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Staff car driver (Special Grade) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post;

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade)	01 (2021)* * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Non selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	**Age** : Not applicable. Educational qualification : Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion / deputation, absorption grade from which promotion/deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade I in Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with three years of regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administrative, Lady Hardinge Medical College -Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman; 2. Deputy Director, Directorate General of Health Services -Member; 3. Deputy Director Administrative, Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/15/2019-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

सा.का.नि.38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (कनिष्ठ आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ में कनिष्ठ आशुलिपिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का नाम स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, कनिष्ठ आशुलिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ आशुलिपिक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500 - 81000/ रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:-	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग माध्यम से

(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। 1.निपुणता परिक्षण, सन्नियम श्रुतलेख: 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट अनुलिपिकरण: 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी) (हस्त टाइपराइटर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)			100% सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण :- पद-धारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी- क (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.) के वेतनमान या समतुल्य श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1.निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 2. उप निदेशक या सहायक निदेशक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य 3.चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए-12018/09/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 2021

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Junior Stenographer) Recruitment Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Stenographer in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chattisgarh, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chattisgarh, Junior Stenographer (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Stenographer	1* (2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable for Government Servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Passed 12th class or equivalent from recognized Board or University. 1. Skill Test Norms, Dictation:	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment through Staff Selection Commission **Note:-** Vacancies caused by

10mts@80w.p.m Transcription: 65 mts.(Eng) 75mts.(Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 mts(Eng) 65 mts (Hindi) (On Computer).			the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holding,- (a)(i) analogous post on regular basis; or (ii) post in the pay scale of Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent with five years regular service in the grade; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No.(7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Chairman; 2.Deputy Director or Assistant Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Member; 3.Medical officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur – Member.	Not applicable.

[F. No.A-12018/09/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान,आस्का (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 का अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध वाशर मैन/धोबी के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओड़ीशा में वाशर मैन/धोबी (बहु कार्य कर्मचारीवृंद) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.— (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण औरअनुसंधान संस्थान, आस्का, ओड़ीशा में वाशर मैन/धोबी (बहु कार्य कर्मचारीवृंद) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा कीहै; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्यकर्मचारीवृंद (वाशर मैन/धोबी)	02*(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-1; (18000-56900/-रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय। **टिप्पण1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित क्षेत्र लद्दाख,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और संघ शासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण2:** रोजगार कार्यालयों के

					माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास; **वांछनीय:** व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण:** अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखितअधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी- (क)(i)नियमित आधार पर सदृश पद (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) के पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हों; और (ख)जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति याप्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1.निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -अध्यक्ष 2.मुख्य चिकित्सा अधिकारी,क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण औरअनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य 3.संबद्ध विशेषता से सदस्य के रुप में सहयोग करने वाला एक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/20/2018-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 2021

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training Institute, Aska(Group 'D' posts) recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Washerman/Dhobi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Washerman/Dhobi (Multi-Tasking Staff) in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha namely:-

1.Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Washerman/Dhobi (Multi-Tasking Staff) (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of said post and its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3.Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4.Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with anyperson,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5.Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6.Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff (Washerman/Dhobi)	2* (2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group-'C', Non-gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs.18000-56900/-)	Not applicable	Between 18 and 25 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and

					not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Matriculation or equivalent passed from a recognised Board or University; **Desirable:** Two years' experience in the profession. **Note :** Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority in case candidate is otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 years regular service in posts in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column No.(7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Gr. 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Director, RegionalLeprosy Training and ResearchInstitute, Aska - Chairman; 2.Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska - Member; 3. One Officer to be co-opted as a member from the concernedspeciality - Member.	Not applicable.

[F. No.A-12018/20/2018-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम)

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 40.—केंद्रीय सरकार, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (ज) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नियम, 1981 के नियम 7 के खंड (ii) को, जहां तक उसका संबंध निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (निदेशक की नियुक्ति और वेतन तथा भत्ते) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं .—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) "संस्थान" से अधिनियम के अधीन निगमित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था अभिप्रेत है ।

3. पद का नाम, वर्गीकरण, कार्य वर्णन और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान और कार्य वर्णन वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, अधिवर्षिता की आयु और परिवीक्षा अवधि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, उसकी आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (7) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति--

(क) जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है; या

(ख) जो विकृत्त चित का है; या

(ग) जिसने किन्हीं तात्त्विक तथ्यों या सूचना को छिपाया है या उनका दुर्व्यपदेशन किया है; या

(घ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. हटाया जाना या नियुक्ति का पर्यवसान .— केंद्रीय सरकार, संस्थान की सिफारिश पर, विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, और इस निमित्त केंद्रीय सरकार के वर्तमान अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, साबित अवचार, कपट, मुख्य वित्तीय अनियमितताओं, दुर्विनियोग या दांडिक कार्यवाहियों की दशा में निदेशक को हटा सकेगी या निदेशक की नियुक्ति को पर्यवसित कर सकेगी ।

7. प्रकीर्ण.—जहां कहीं भारत सरकार का अनुदेश, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने का उपबंध करता है, वहां केंद्रीय सरकार का अनुमोदन, उक्त मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	कार्य वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1 (**एक**)	मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक प्रधान	स्तर 17 के समतुल्य मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर पर प्रैक्टिस बंदी भत्ते और केंद्रीय सरकार की दरों पर अन्य अनुज्ञेय दरों सहित 2,25,000/- रुपए (नियत) : परंतु मूल वेतन धन प्रैक्टिस बंदी भत्ता 2,37,500/- रुपए से अधिक नहीं होगा ।	लागू नहीं होता	1. निदेशक, संस्थान का शैक्षणिक प्रधान और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा । 2. निदेशक के पास संस्थान का समस्त प्रशासनिक नियंत्रण होगा और संस्थान द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान के विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुसंगतताओं के अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं की पहचान करने में संस्थान के लिए उच्च स्तरीय नेतृत्व प्रदान करेगा ।

					3. निदेशक, संस्थान के वैज्ञानिक को उत्साहित और प्रोत्साहित करेगा, सृजनता और उतकृष्टता का संवर्धन करेगा और संस्थान के सामंजस्यपूर्ण कार्यकरण के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करेगा । 4. निदेशक, संस्थान द्वारा आरंभ किए गए अनुसंधान के अधिकार क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं तथा वैज्ञानिकों के साथ अन्योन्यक्रिया करेगा और उनके साथ संपर्क स्थापित करेगा तथा संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहु-अनुशासनिक और बहु-संस्थानिक सहयोग को सुनिश्चित करेगा ।

आयु-सीमा	भर्ती की पद्धति	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अनुभव
(7)	(8)	(9)	(10)
60 वर्ष से अधिक नहीं (आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, यदि पद कलेंडर वर्ष के पहले आधे वर्ष में विज्ञापित किया जाता है तो, कलेंडर वर्ष की 1 जनवरी होगी या यदि पद कलेंडर वर्ष के दूसरे आधे वर्ष में विज्ञापित किया जाता है तो, कलेंडर वर्ष की 1 जुलाई होगी ।)	निदेशक के पद के लिए भर्ती निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति द्वारा की जाएगी, अर्थात् :-- (क) सीधी भर्ती द्वारा; या (ख) प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; या (ग) पुनर्नियोजन द्वारा । **टिप्पण :** (i) स्तंभ (11) में निर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति, अकादमियों के अध्येयाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों और विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों, आदि से प्राप्त आवेदनों और नामनिर्देशनों पर विचार करेगी । (ii) खोज-सह-चयन समिति, चयन के लिए अभ्यर्थियों की चयन	**आवश्यक :** (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हता । (ii) संस्थान के हित की विशिष्टिताओं में से किसी विशिष्टिता में स्नातकोत्तर अर्हता । **वांछनीय:** (i) आवेदक के पास आयुर्विज्ञान की किसी शाखा में अनुसंधान का उत्कृष्ट रिकार्ड और साथ ही आयुर्विज्ञान पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान का रिकार्ड होना चाहिए ।	**सीधी भर्ती के लिए :** 1. स्नातकोत्तर अर्हता के पश्चात् विशेषीकरण के विषय में कम से कम 12 वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव । 2. व्यवसाय में पच्चीस (25) वर्ष का अनुभव । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भर्ती की दशा में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारत में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक या शिक्षाविद् या प्रौद्योगिकीविद्,— (क) जिनके पास स्तंभ (9) में

	सूची तैयार करने के लिए पारदर्शी मानदंड तैयार करेगी । (iii) अभ्यर्थी की नियुक्ति, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा की जाएगी । (iv) खंड (iii) में निर्दिष्ट केंद्रीय सरकार का अनुमोदन, मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन होगा ।	(ii) संबद्ध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग में प्रबल और प्रदर्शित हित । (iii) जिसके पास उच्च कोटि का प्रबंधन तथा प्रशासनिक अनुभव हो और औषधि, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग में उच्च सक्षम व्यवसायियों के साथ अनन्योनक्रियाएं करने की योग्यता हो ।	उल्लिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और इस स्तंभ में उल्लिखित अनुभव हों; और (ख) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने स्तर 16 [छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 75,500-80,000 (उच्च प्रशासनिक ग्रेड+) का तत्स्थानी] या समतुल्य वाले पद पर एक वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने स्तर 16 [छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 67,000-79,000 (उच्च प्रशासनिक ग्रेड +) का तत्स्थानी] या समतुल्य वाले पद पर तीन वर्ष की सेवा की हो ; या (iv) जिन्होंने स्तर 14 [छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 37,400-67,000 धन ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- (ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) का तत्स्थानी] या समतुल्य वाले पद पर सात वर्ष की सेवा की हो ।

चयन समिति और उसकी संरचना	अधिवर्षिता की आयु	परिवीक्षा अवधि
(11)	(12)	(13)
i. केंद्रीय सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगी । ii. खोज-सह-चयन समिति, जिसमें अध्यक्ष भी है, की संख्या सामान्यत: पांच से अधिक नहीं होगी । iii. खोज-सह-चयन समिति का अध्यक्ष या तो सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा या कोई वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् (जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) होगा : परंतु सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष न होने की दशा में, वह सदस्य	65 वर्ष या जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए ।	लागू नहीं होता

होगा । iv. समिति के अन्य सदस्य, प्रतिष्ठित विशेषज्ञ (जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए), जो अधिमानतया संस्थान के लिए सुसंगत विशेषीकरण के क्षेत्रों से होंगे । v. खोज-सह-चयन समिति की संरचना, इस निमित्त केंद्रीय सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाएगी ।		

[फा. सं. एआई/1/19/एससीटीआईएमएसटी/2014-भाग]

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

[SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM]

New Delhi, the 15th March, 2021

G.S.R. 40. — In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 11 read with clause (f) and (h) of sub-section (2) of section 31 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980 (52 of 1980), and in supersession of clause (ii) of rule 7 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Rules, 1981, in so far as it relates to the post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, hereby makes the following rules, namely:-

1.(1) Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Appointment and Salary and Allowances of Director) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980 (52 of 1980);

(b) “Director” means the Director of the Institute;

(c) “Institute” means the institution known as the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum incorporated under the Act;

3. Number of post, classification, job description and pay scale. — The number of post, its classification, pay scale and job description attached thereto shall be as specified in columns (1) to (6) of the Schedule annexed to these rules**.**

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, age of superannuation and probation period. — The method of recruitment for the said post, its age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (7) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications. — No person,-

(a) who is not a citizen of India or has given up the Indian citizenship; or

(b) who is of unsound mind; or

(c) has done any concealment or misrepresentation of material facts or information; or

(d) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(e) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post**:**

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Removal or termination of appointment. —**The Central Government may, on the recommendation of the Institute, remove the Director or terminate the appointment of Director in case of proven misconduct, fraud, major financial irregularities, misappropriation or criminal proceedings after following the due process of law and keeping in view the extant instructions of the Central Government in this behalf.

7. Miscellaneous

Wherever the instruction of the Government of India provides for obtaining approval of the Appointments Committee of the Cabinet, the approval of the Central Government shall be subject to obtaining approval of the said Appointments Committee of the Cabinet.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay scale	Whether selection post or non-selection post	Job description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1 (One)	Chief Executive and Academic Head	Equivalent to Level 17 Rs.2,25,000/- (fixed) along with Non-practicing Allowance at the rate of 20 per cent of the basic pay and other admissible allowances at the Central Government rates: Provided that the basic pay plus Non-practicing Allowance shall not exceed Rs.2,37,500/-.	Not applicable	1. Director shall be the Academic Head and Chief Executive of Officer of the Institute. 2. The Director shall have the overall administrative control of the Institute and provide high level leadership to the Institute in identification of research programmes and projects of national and international relevances in various specialised fields of research undertaken by the Institute. 3. The Director shall enthuse and motivate scientist of the Institute; promote creativity and excellence and create an atmosphere conducive to harmonious functioning of the Institute. 4. The Director shall interact and establish rapport with national and international, academic and professional institutions and specialists dealing

					with the domain area of research undertaken by the Institute and shall ensure multi-disciplinary and multi-institutional cooperation towards fulfillment of the objects of the Institute.

Age-limit	Method of recruitment	Educational and other qualification	Experience
(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 60 years. (The crucial date for determining the age-limit shall be 1st January of the calendar year, if the post is advertised in the first half of the calendar year or 1st July of the calendar year, if the post is advertised in the second half of the calendar year.)	Recruitment for the post of Director shall be made by any of the following methods:- (a) By direct recruitment; or (b) By deputation including short term contract; or (c) By re-employment. **Notes:** (i) The Search-cum-Selection Committee (ScSC) referred to in column (11), shall consider the applications and nominations received from Fellows of Academies, Directors of National Laboratories and Vice-Chancellors of Universities, etc. (ii) The Search-cum-Selection Committee shall formulate a transparent criteria for shortlisting of candidates for selection. (iii) On the recommendation of the Search-cum-Selection Committee, the appointment of the candidate shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.	**Essential:** (i) Medical qualification included in 1st or 2nd schedule of the Indian Medical Council Act. (ii) A post graduate qualification in any of the specialties of interest to the Institute. Desirable: (i) The applicant should possess an outstanding record of research in any branch of medical sciences as well as record of significant contribution to medical journalism. (ii) A strong and demonstrated interest in the development and application of technology in the related areas. (iii) Having management and administrative experience of a higher order and ability to interact	**For direct recruitment :** 1. Teaching or research experience of not less than 12 years in the subject of specialisation after the post graduate qualification. 2. Twenty-five (25) years standing in the profession. For deputation (including short – term contract). In case of recruitment by deputation (including short term contract), Scientists or Academics or Technologists working in the Central Government or State Governments or recognised Universities or research institutions or semi-government or statutory or autonomous organisations in India: (a) possessing the essential educational qualifications mentioned in Column (9) and experience in this column; And (b) (i) are holding analogous posts; or (ii) with one year of service in a post in Level-16 [corresponding to the pre-revised pay scale of the 6th CPC pay scale of Rs.75,500-80,000/- (HAG +)] or equivalent; or (iii) with three years of service in a post in Level-15 [(corresponding to the pre-revised pay scale of the Sixth Central Pay Commission pay scale of Rs.67,000- 79,000/- (HAG)] or

	(iv) The approval of the Central Government referred to in clause (iii) shall be subject to obtaining the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).	with highly competent professionals in medicine, technology and industry.	equivalent; or (iv) with seven years of service in a post in Level-14 [corresponding to the pre-revised pay scale of the Sixth Central Pay Commission pay scale of Rs.37,400-67,000/- plus grade pay Rs.10,000/- (SAG)] or equivalent.

Selection Committee and its composition, etc.	Age of superannuation	Probation period
(11)	(12)	(13)
i. The Central Government shall constitute a Search-cum-Selection Committee in accordance with the instructions issued by Department of Personnel and Training from time to time. ii. The strength of the Search-cum-Selection Committee inclusive of the Chairman shall not normally be more than five. iii. The Chairman of the Search-cum-Selection Committee shall either be Secretary, Department of Science and Technology or an eminent Scientist or Technologist (to be nominated by Department of Science and Technology): Provided that in the event of Secretary, Department of Science and Technology not being Chairman, he shall be a Member. iv. The other members of the Committee would be experts of eminence preferably from the fields of specialisation relevant for the Institute (to be nominated by Department of Science and Technology). v. The composition of the Search-cum-Selection Committee shall be approved by Department of Science and Technology with the concurrence of the Department of Personnel and Training in accordance with the extant instructions of the Central Government issued in this behalf.	65 years or as laid down by Government of India from time to time.	Not applicable.

[F. No.AI/1/19/SCTIMST/2014-Part]
SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल भूजल योजना, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत परियोजना निदेशक (केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में सदस्य स्तर का वैज्ञानिक पद) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, नामत अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, परियोजना निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5.शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जतियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परियोजना निदेशक	* 01 (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर14 (रु.144200-218200)	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों केलिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**पद्धति:** 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याआमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में स्तर13 क(रु.131100-216600)या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा है ; और (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में स्तर13 (रु.123100-215900)या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा है ;और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं : (i) भूजल विज्ञान अथवा भूविज्ञान अथवा जलविज्ञान अथवा भूभौतिकी अथवा जलमौसमविज्ञान के क्षेत्र में मास्टर डिग्री; और (ii) भूजल संसाधनों केसामग्री प्रबंधन और भूजल निगरानी सहित भूजल संसाधन सर्वेक्षण, विकास, अन्वेषणमें अथवा जल संरक्षण और भूजल संवर्धन सहित भूजल संसाधन प्रबंधन में पंद्रह वर्षों का अनुभव। **नोट 1:**प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पाँचवर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट2:**प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवाआयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/5/2020-(भूजल स्था.) अनुभाग-एमओडबल्यूआर]

अक्षय कुमार साहु, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 16th March,2021

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Project Director (Member Level Scientific post in Central Ground Water Board) under Atal Bhujal Yojana, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Project Director (Group 'A' Post) , Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Project Director	* **01** (2021) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 14 in the pay matrix (Rs 144200-218200).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits shall apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 per cent. Deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or recognised research institution or Universities or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in level 13 A in the pay matrix (Rs 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in level 13 in the pay matrix (Rs 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications or experience: (i) Masters Degree in Science in the field of Hydrogeology or Geology or Hydrology or Geophysics or Hydrometeorology; and (ii) fifteen years experience in ground water resource surveys, development, exploration including material management and ground water monitoring or inground water resource management including water conservation and ground water augmentation. **Note 1**: The period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed five	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Comission necessary while appointing an officer on deputation.

years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.		

[F.No A-12018/5/2020-(GW Estt) Section-MOWR]

A.K.SAHOO, Under Secy.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

सा.का.नि. 42.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक (समूह-ख) के पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1)** इन नियमों को राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, पद कनिष्ठ अनुवादक समूह-ख भर्ती नियम, 2021 के नाम से जाना जा सकता है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे-मैट्रिक्स में लेवल.—** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—**भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरहर्ताएं.—**वह व्यक्ति,-

   क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की; या

   ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   बशर्ते कि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

2. **शिथिल करने की शक्ति.—**यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह उसके लिए जो भी कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघलोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

3. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल (7वां वेतन आयोग)	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	01 (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-बी अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	पे मैट्रिक्स लेवल-6 (रु.35400-112400/-)	लागू नहीं	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) **टिप्पणी:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित तिथि

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती विधि चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति या आमेलन और रिक्तियों के प्रतिशत को विभिन्न तरीकों से भरने की।
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी पढ़ी हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर तथा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी हो या स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिंदी रहा हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में अंग्रेजी पढ़ी हो या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम अंग्रेजी रहा हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी हो या स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिंदी	लागू नहीं	दो वर्ष	**सीधी भर्ती** टिप्पण:-कार्मिक के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए जाने पर रिक्त पद को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकेगा। (क) जो मूल कैडर या विभाग में समतुल्य पर नियमित रूप से कार्यरत हो; और (ख) स्तंभ (7) में वर्णित सीधी भर्ती का शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखता हो।

रहा हो; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर स्नातक और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा दोनों में से कोई एक माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों, भारत सरकार के उपक्रम सहित में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:-1.** सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यता को शिथिल की जा सकता है। **टिप्पण:-2.** कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए लिखित रूप से कारण बताते हुए अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) को शिथिल किया जा सकता है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा पुनर्निवेश के मामले में, जिन दरों से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती संबंधी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया गया है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**समूह-ख विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)** 1. प्रमुख, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र -अध्यक्ष 2. उपसिचव या निदेशक (प्रशा.), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र -सदस्य 3. वैज्ञानिक ‘एफ’ राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

[फा. सं. ए-11019/19/2015-एनएमआरएफ]

आशीष कुमार मित्रा, प्रमुख, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(National Centre for Medium Range Weather Forecasting)

New Delhi, the 17th March, 2021

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the National Centre for Medium Range Weather forecasting, Ministry of Earth Sciences, namely :-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the National Centre for Medium Range Weather Forecasting, Junior Translator, Group 'B' post Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix .—The number of post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification .—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party the marriage and that there are other grounds for so doing, except any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings .—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	01(2021) subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 6 (₹35400 – 112400/-).	Not Applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh Union territory of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Master degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or Master Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of	Not Applicable	Two years	**Direct recruitment:** Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government who are:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits as mentioned in above column.7".

candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or Deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Head, National Centre for Medium Range Weather Forecasting - Chairman; 2. Deputy Secretary or Director (Admin), National Centre for Medium Range Weather Forecasting - Member; and 3. Scientist 'F', National Centre for Medium Range Weather Forecasting - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-11019/19/2015-NMRF]
ASHIS KUMAR MITRA, Head, National Centre for Medium Range Weather Forecasting.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.27 09:33:32 +05'30'